न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) धौरपुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क0 202504022700016/अ–62/2024–25

सेवक दास आ0 अमीर दास
जाति–पनिका
निवासी ग्राम – राईखुर्द
तहसील–लुण्ड्रा (धौरपुर)
जिला–सरगुजा (छ0ग0) ------आवेदक

प्रति

छ0ग0 शासन -----अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 07/05/2025)

(अन्तर्गत छ0ग0 भू–राजस्व संहिता की धारा–240–241 के तहत)

आवेदक सेवक दास आ0 अमीर दास निवासी ग्राम राईखुर्द तहसील–लुण्ड्रा (धौरपुर) जिला–सरगुजा छ0ग0 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम राईखुर्द स्थित अपने स्वामित्व की भूमि ख0नं0 394, 392/1, 392/2, 392/9, 393/9 रकवा कमशः 0.360, 0.430, 0.500, 0.430, 0.810 हे0 के मेड़ों में यू0के0लिप्टस के 40 नग बृक्ष लगे हैं जो काफी मोटे एवं पुराना हैं । उक्त बृक्षों की लम्बी छाया एवं पत्तों के गिरने से फसल लगाने में दिक्कत हो रही है तथा फसलों की उपज कम हो गई है। जिस कारण मैं अब उपरोक्त बृक्षों की कटाई करना चाहता हूं, तथा विकी कराना चाहता हूं। जिसकी कटाई एवं ढुलाई की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में वन परिक्षेत्राधिकारी लुण्ड्रा एवं राजस्व निरीक्षक लुण्ड्रा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

–प्रकरण में वन परिक्षेत्राधिकारी लुण्ड्रा एवं राजस्व निरीक्षक लुण्ड्रा द्वारा पंचनामा सहित प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बिरेन्द्र कुमार चौरसिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कंडिकावार जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1–आवेदित बृक्ष किसी जलाशय झरने अथवा तालाब किनारे से 20 मीटर के अन्दर स्थित नहीं है।

2–किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच 15 मी0 अन्दर एवं किसी पगडंडी से 6 मी0 के अन्दर नहीं है।

3–आवेदित बृक्ष किसी पवित्र स्थल के आसपास नहीं है और न ही आवेदित क्षेत्र किसी उपवन में शामिल है।

4–आवेदित बृक्ष किसी वन महोत्सव कार्यकम या उसके समान किसी अन्य योजना के अन्तर्गत बृक्षों की प्रजाति बृखारोपण नहीं किया गया है।

5–आवेदित बृक्ष के कब्रिस्तान अथवा शमशान गोठान खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किये गये किसी क्षेत्र के समीप में स्थित नहीं है।

6–आवेदित बृक्ष समतल भूमि पर स्थित है। आवेदित बृक्ष यू0के0लिपटस है जिसकी लम्बाई 15 मीटर व गोलाई 1.50 से 2 मीटर तक हैं। बृक्ष को काटने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पेड़ पूर्व भूमिस्वामी के द्वारा लगाया गया है।

7–आवेदित पेड़ आवेदक द्वारा रोपित किया गया है।

8–अभिमतः– नीलगिरी के 40 पेड़ को काटने में वन्य एवं पर्यावरण विभाग को किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है। उपरोक्त वृक्ष वनक्षेत्र से बाहर है निजी क्षेत्र में स्थित है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धौरपुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

-प्रकरण का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न राजसव अभिलेख अनुरार ग्राम राईखुर्द तहसील लुण्ड्रा स्थित ख0नं0 394, 392/1, 392/2, 392/9, 393/9 रकवा कमशः 0.360, 0.430, 0.500, 0.430, 0.810 हे0 भूमि आवेदक सेवक दास आ0 अमीर दास जाति-पनिका निवारी ग्राम राईखुर्द तहसील लुण्ड्रा (रघुनाथपुर) जिला-सरगुजा छ0ग0 के स्वामित्व के नाम पर दर्ज है। वन परिक्षेत्र सहायक लुण्ड्रा एवं राजस्व निरीक्षक लुण्ड्रा द्वारा आवेदित भूमि पर कुल 40 नग यू0के0लिप्टस प्रजाति के बृक्ष मौके पर बताया गया है। आवेदक द्वारा खाते की भूमि पर स्थित 40 नग खडे यू0के0लिप्टस को काटने/परिवहन की अनुमति हेतु आवेदन पेश किया गया है। छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों की कटाई- (1) छ0ग0वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित बृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।

अतएव आवेदक सेवक दास आ0 अमीर दास जाति पनिका निवासी ग्राम राईखुर्द तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) जिला-सरगुजा को ग्राम राईखुर्द स्थित अपने स्वामित्व की भूमि ख0नं0 394, 392/1, 392/2, 392/9, 393/9 रकवा कमशः 0.360, 0.430, 0.500, 0. 430, 0.810 हे0 में लगे 40 पेड़ यू0के0लिप्टस पेड को काटे जाने/परिवहन की अनुमति/अनापत्ति छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 व छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 दिये गये प्रावधानों में निहित शर्त के तहत प्रदान की जाती है।

-आज दिनांक / /2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा सहित आदेश पारित एवं उदघोषित।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर
जिला-सरगुजा (छ0ग0)
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

पृ0क0 /वाचक/अ0व0लि0 धौरपुर, दिनांक / /2025

प्रतिलिपि :-

1- वन मण्डलाधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- परिक्षेत्र सहायक, वन परिक्षेत्र लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- तहसीलदार लुण्ड्रा (धौरपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4- आवेदक सेवक दास आ0 अमीर दास जाति पनिका निवासी ग्राम राईखुर्द तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) जिला-सरगुजा छ0ग0 को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर
धौरपुर
जिला-सरगुजा (छ0ग0)
जिला- सरगुजा (छ.ग.)